=30-

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

भोपाल,दिनांक 12 फरवरी,2009

आदेश

क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 : राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 12–09–08 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण किया गया है तथा इसी आदेश के पैरा–3 में विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दी गई छूट का भी उल्लेख किया गया है।

2/ मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आई0ए0 क्रमांक 1135–36 में पवन उर्जा के प्रकरणों के संबंध में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू में 50 प्रतिशत की छूट देने के निर्देश दिये गये है जिस बाबत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने ज्ञाप क्रमांक 5–1/98–एफसी(पार्ट 2) दिनांक 13–06–2008 के द्वारा निर्देश जारी किये हैं।

3/ इन निर्देशों के पालन में राज्य शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 12–09–08 में पैरा–4 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

APCCF (LM)

4. पवन ऊर्जा के लिये वनभूमि के व्यपवर्तन प्रकरणों में वनों की इको वेल्यू श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की केवल 50 प्रतिशत राशि ही वसूल की जायेगी बशर्ते वृक्षों की कटाई न्यूनतम हो।

4/ शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्रधान मु.व.स.
म.प्र. भोपाल.

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन, वन विभाग

885
16-2-09

पृ0क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3
भोपाल,दिनांकः 12 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0शासन वित्त विभाग/खनिज साधन विभाग/उर्जा विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्ष म0प्र0 भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
5. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आवक लिपिक
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल
आवक क्र. 123
दिनांक 16-2-09

6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
7. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन
वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल

पृ0क्र0/एफ–10/163/ 371 भोपाल दिनांक 18-2-09

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त मध्यप्रदेश।
2. समस्त वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) वन मंडल मध्यप्रदेश।
3. कक्ष प्रभारी सिंचाई/विद्युत /विविध/खनिज कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगेषित ।

18/2/09
मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल